

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:एफ. 7(1)(3)पंचा/रानिआ/14-15/9605

दिनांक : 29-09-2026

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) (पंचायत), राजस्थान।

विषय:- पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचनों में वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंध में।

महोदय,

निर्वाचनों में मतदान के दौरान प्रायः यह देखा गया है कि वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर अपने मताधिकार का उपयोग करने में कतिपय कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अतः इस संबंध में आयोग द्वारा वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की सुविधाओं के लिए निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये जाते हैं :-

1. मतदान केन्द्र पर मतदान के लिए वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं को प्राथमिकता प्रदान की जाए।
2. वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की सुविधा हेतु उपयुक्त रैम्प तथा आवश्यक संकेतक उपलब्ध कराए जायें।
3. मतदान केन्द्र पर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए छायादार प्रतीक्षा स्थल एवं पृथक से कतार की व्यवस्था की जाए।
4. मतदान केन्द्र पर वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं की सहायता के लिए आवश्यकतानुसार स्वयंसेवकों एवं NSS की सहायता ली जाए।
5. मतदान दल से वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के प्रति विनम्र एवं अधिक संवेदनशील व्यवहार अपेक्षित है।
6. वरिष्ठ मतदाताओं के लिए आवश्यकतानुसार व्हीलचेयर का उपयोग किया जाए।

भवदीय



(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक:एफ. 7(1)(3)पंचा/रानिआ/14-15/9606-09

दिनांक : 29-09-2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अति. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान।
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी।
4. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर को ई-मेल करने, आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।



उप सचिव